76

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2400-पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 11-07-2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण जिला ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 1/अपील/15-16

इंदर सिंह पुत्र स्व0श्री बदनसिंह
निवासी ग्राम राई
तहसील व जिला ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

विष्णुकुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
निवासी बैजल कोठी मुरार परगना व
जिला ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-7-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा सर्वे क्रमांक 333 रकबा 0.470 हैक्टेयर भूमि दिनांक 17-2-1999 को क्रय की गई और अनावेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपना नामान्तरण कराया गया तत्पश्चात् ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव 4 दिनांक 27-3-2002 को बटवारा स्वीकार होकर अनावेदक सर्वे क्रमांक 333 रकबा 0.470 हेक्टेयर का भूमिस्वामी दर्ज रहा किन्तु अनावेदक के स्वत्व का अमल कम्प्यूटर खसरे में नहीं होने का लाभ उठाते हुये आवेदक द्वारा ग्राम पटवारी से मिलकर नामान्तरण पंजी क्रमांक 19 दिनांक 2-11-12 पर पारित आदेश दिनांक 29-12-2011 के द्वारा पंजी पर बटवारा करा लिया जिसकी सूचना अनावेदक को नहीं दी गई । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 11-7-2016 को पारित कर समय सीमा में मान्य करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत की गई। अनुविभागीय अधिकरी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्ययालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 5 के आवेदन में विलम्ब का कारण किस आधार पर समाधानकारक माना है, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदक उपस्थित हुये थे तथा आवेदक के हक में हुये बटवारे के आधार पर राजस्व अभिलेख में नामान्तरण आदेश की जानकारी दिनांक 4-7-2015 को हो चुकी थी, इस बिन्दु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं करते हुये विलम्ब क्षमा कर अपील समय सीमा में मानने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि समय सीमा अधिनियम के प्रावधानों में प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है किन्तु अनावेदक द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिये भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश एकपक्षीय आदेश है क्योंकि आवेदक द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये थे वह तर्क क्यों माने जाने योग्य नहीं है इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में कोई विवेचना नहीं की है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 5 पर पारित अंतरिम आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, अत: प्रकरण में वह आवश्यक पक्षकार है । तहसील न्यायालय की नामान्तरण पंजी क्रमांक 19 दिनांक 5-11-2011 में पारित आदेश् दिनांक 29-12-11 को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को बिना पक्षकार बनाये, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण आदेश है और ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश को चुनौती देने के लिए समय-सीमा का कोई बन्धन नहीं है । इस सम्बन्ध में 1994 आर.एन. 302 मुन्ना विरूद्ध तुलसी तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> "परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5-परिसीमा का प्रश्न-आदेश अधिकारिता रहित-ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है-परिसीमा का वर्जन नहीं ।"

इसी प्रकार 1993 आर.एन. 183 किशनलाल तथा अन्य विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी म.प्र.तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> "परिसीमा-आरंभ होने का बिंदु-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया-वाक्य "आदेश की तारीख" -अर्थ-"आदेश की जानकारी की तारीख" के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।
>
> "शब्द तथा वाक्य- वाक्य "आदेश की तारीख"- अर्थ-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया- वाक्य "आदेश की तारीख" का "आदेश की जानकारी की तारीख" के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।"

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर, विलम्ब माफ करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, जहां वह अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-7-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर